(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.), मुकाम–सिरोही(राज.)

वादीगण		प्रतिवादीगण
अभयकुमार पुत्र श्री कालुराम जाति पुरोहित नि. आमलारी तहसील व जिला सिरोही	बनाम	1. श्री सवाराम पुत्र श्री खीमाराम जाति पुरोहीत नि. आमलारी तहसील व जिला सिरोही व अन्य – 01

किस्म मुकदमा

रा.वाद. अ.धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट

रा.वाद सं. 92/2020

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
07–10–2020	वादीगण ने यह रा.वाद अ.धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट का जरिये अधिवक्ता विरूद्व प्रतिवादीगण का हमारे समक्ष इस न्यायालय में पेश किया। हमने उक्त रा.वाद व संलग्न दस्तावेजात प्रतियों का अवलोकन किया तथा उस पर मनन किया तो हम उक्त रा.वाद में अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टियॉ आश्वस्त होने से दर्ज रजिस्टर हो । प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हो। मिसल आयन्दा वास्ते इन्तजार तामिली व जवाब प्रतिवादीगण हेतु दिनांक 12–10–2020 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही	
Not Press Dt 12.10.20	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] के बाबत पेश हुई [illegible] इस वाद को आगे आगे चलाने तथा खारिज कराने हेतु Not Press किया है। अतः विद्वान यह रा.वाद अ.धारा 88, 188 R.T.Act [illegible] Not Press [illegible] खारिज योग्य होने [illegible] है। निर्णय [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:51:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.) 307001